न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 34 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 145

हेमन्त खुराना पुत्र विजय खुराना, सिटी पुलिस पोस्ट के पीछे निवासी ए–3 / 174 मोहल्ला निमडी नीचे, वार्ड नं. 5 महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 06.09.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी के द्वारा यह प्रथम अपील इस आधार पर प्रस्तुत की हैं कि दिनांक 27.06.2024 को मांगे गये 68 रू अतिरिक्त शुल्क की प्रतिपूर्ति दिनांक 27.06.2024 को ही ऑनलाईन किये जाने के बावजूद भी नियत समयावधि में वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया।

तहसीलदार अनूपगढ़ के पत्रांक / भूअ. / 2024 / 2866 दिनांक 30.08.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन दिनांक 19.06.2024 प्रस्तुत कर सूचना चाही गयी थी। सूचना 36 पृष्ठों की होने के कारण पोर्टल के माध्यम से प्रार्थी को 68रू फोटोकॉपी शुल्क जमा करवाने हेतु रिक्वेस्ट भिजवाई गयी। दिनांक 07.08.2024 को पोर्टल पर फीस जमा होना प्रदर्शित हरोने पर प्रार्थी को जरिए पोर्टल उसी दिन सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी। फीस की जानकारी दिनांक 07.08.2024 को ही प्रदर्शित हुई थी, इसके अलावा संभाव्य तकनीकी समस्या के कारण आवेदन विलम्ब से प्रदर्शित हुआ है। सूचना उपलब्ध करवा दी गयी हैं। अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार अनूपगढ़ को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 19.06.2024 को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 27.06.2024 को अपीलार्थी को सूचना हेतु अतिरिक्त शुल्क जमा करवाने के लिए पत्र जारी किया। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं कि उनके द्वारा दिनांक 27.06.2024 को ही राशि जमा करवा दी थी परन्तु सूचना प्रदान नहीं की गयी हैं। इसके विपरीत प्रत्यर्थी का कथन हैं कि तकनीकी समस्या के कारण ऑनलाईन पोर्टल पर राशि जमा होना दिनांक 07.08.2024 को प्रदर्शित हुआ जिसके तुरन्त बाद उसी रोज अपीलार्थी को ऑनलाईन पोर्टल पर सूचना अपलोड कर उपलब्ध करवा दी गयी।

प्रकरण में अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। परन्तु सूचना निश्चित समयावधि में प्रदान नहीं की गयी हैं, जिसका कारण ऑनलाईन पोर्टल पर राशि जमा होना प्रदर्शित नहीं होना तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा बताया गया हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं, अपील पत्र पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गयी हैं। अपील खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं और तहसीलदार अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता हैं भविष्य में निश्चित समयावधि में सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

I.A.S

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)